

24/10/24

पत्रावली केस हुई, वकील दिल्लीवा आदित्य प्रस्तुत  
इतराथ में अपील लेकर मूल पत्रावली न्यायालय  
एजा में रिमाण्ड लेकर प्राप्त हुई प्रकरण सं  
76/2024 पर रजि लेकर विचारधीन है, अतः  
इतराथ की पाठमा नली की जा सकती है।  
पत्रावली केसल सुमाए लेकर मेवा से प्रप है।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसामर

